मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 19, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा सदन के बाहर नये करारोपण की घोषणा की जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, श्री कमल पटेल, सदस्यगण ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि दिनांक 7 जून, 2019 को विधान सभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई. आज बजट प्रस्तुत हो रहा है. सामान्य परम्परा और मान्यता ये रही है कि संसद या विधान मंडलों में जब बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उस समय कोई करारोपण नहीं होता है, लेकिन इस बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, स्टाम्प ड्यूटी के बारे में भी फैसला किया. तो यह परम्पराओं का उल्लंघन है. विधायिका का ये विशेषाधिकार है परन्तु विधान सभा के अंदर घोषणा न करके बाहर की गई. इस तरह आपने संवैधानिक संस्थाओं एवं परम्पराओं के साथ खिलवाड़ किया है. भविष्य में ऐसा न हो. इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने इस पर उल्लेख किया कि संसद की परम्पराओं का उनको अनुभव है, चूंकि केन्द्रीय बजट 5 जुलाई को आ रहा था और हमारा बजट आज आ रहा है तो इस प्रकार की व्यवस्था इसी बार बनी है, पहले केन्द्रीय बजट 28 फरवरी को आता था और हमारा बजट बाद में आता था और हमको केन्द्रीय बजट की जानकारी मिल जाती थी. परन्तु इस बार हमारे बजट में केन्द्र ने 2700 करोड़ रूपये घटा दिये है और पेट्रोल-डीजल के भाव केन्द्र ने बढ़ा दिये हैं इसलिए हमको उसका समायोजन करना पड़ा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि यदि अधिसूचना जारी हो गई तो कोई भी करारोपण सदन के बाहर नहीं कर सकते, जबकि केन्द्र सरकार ने लोक सभा के अंदर घोषणा की थी.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – "यदि नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो विपक्ष के साथियों को या सदन के नेता खड़े हैं तो सत्तापक्ष के सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिए. यह मान्य परम्पराएं है कि जब सदन का नेता या नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो उनको सहयोग करने की जरूरत नहीं है. नेता प्रतिपक्ष यदि आसंदी के संज्ञान में कोई बात लाये हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात आ गई है. अब मैं किसी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं. बजट पर सामान्य चर्चा के समय सभी को बोलने का अवसर मिलेगा, वित्त विभाग का जवाब भी आयेगा और स्मरण रहे कि बजट प्रस्तुत के पूर्व कोई चर्चा नहीं होती है, ये परम्परा रही है".

2. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के उपस्थापन के साथ-साथ मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2019-20 प्रस्तुत किया.

3. अध्यक्षीय घोषणा

आय-व्ययक की मांगों पर कटौती प्रस्ताव एवं सामान्य चर्चा का समय नियत किया जाना

वित्त मंत्री का बजट भाषण पूर्ण होने के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं, निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सायंकाल 8.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई एवं शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2019 का समय नियत किया गया है.

पूर्वाह्न 12.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 20, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 10 जुलाई, 2019